

प्रेषक,

संदीप कुमार आर0 पुडकलकट्टी,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार, विहार,
वीरचंद पटेल पथ, पटना।

पटना, दिनांक - 11/05/2026

विषय:-वित्तीय वर्ष 2026-27 में केन्द्र प्रायोजित योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति (वर्ग-9 एवं 10) योजना के तहत राज्यांश मद में ₹10,38,00,000/- (दस करोड़ अड़तीस लाख) मात्र राशि की निकासी कर भारत सरकार के दिशा-निर्देश के आलोक में SNA खाते में संधारित एवं व्यय करने की स्वीकृति।

आदेश-स्वीकृति।

2- वित्तीय वर्ष 2026-27 में केन्द्र प्रायोजित योजना के अन्तर्गत सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जाति प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति (वर्ग-9 एवं 10) योजना हेतु निर्गत मार्गदर्शिका में निर्धारित Funding Pattern एवं Single Nodal Agency (SNA) से संबंधित भारत सरकार के दिशा-निर्देश एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष में उपलब्ध बजट प्रावधान के अन्तर्गत शिक्षा विभाग के मांग के आलोक में राज्यांश मद में ₹10,38,00,000/- (दस करोड़ अड़तीस लाख) मात्र राशि की स्वीकृति दी जाती है। इस स्वीकृत राशि के आलोक में निदेशक, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग द्वारा आवंटनादेश निर्गत किया जायेगा।

3-राज्यांश मद के लिए राशि मांग सं0-44 के योजना बजट मुख्य शीर्ष-“2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण-उपमुख्य शीर्ष-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-लघु शीर्ष-277-शिक्षा- उपशीर्ष-0324-अनु0 जाति के छात्र एवं छात्राओं के लिए प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति विषय शीर्ष-0324.34.01 छात्रवृत्ति वजीफा- विपत्र कोड सं0-44-2225012770324” पी0एफ0एम0एस0 कोड-9492 के तहत विकलनीय होगा।

4-वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के O.M. दिनांक-23.03.2021 द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश के आलोक में राशि का व्यय Single Nodal Agency (SNA) एवं Implementing Agency (IA) के बैंक खाते के माध्यम से किया जाएगा।

5-इस योजना के लिए निकासी पदाधिकारी, अवर सचिव, निकासी एवं व्ययन पदाधिकासी, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग होंगे तथा व्ययन पदाधिकारी, Implementing Agency (IA) के रूप में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी होंगे। अवर सचिव, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी राशि की निकासी कर Single Nodal Agency (SNA) के बैंक खाता सं0-40327756060 IFSC-SBIN0000153, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, सिंचाई भवन, पटना में संधारित करेंगे।

6-Implementing Agency (IA) शिक्षा विभाग के व्ययन पदाधिकारी, निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार व्यय करेंगे तथा व्यय की गई राशि की व्यय विवरणी समय-समय पर अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग को भेजेंगे। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभाग द्वारा निर्गत परिपत्र पत्रांक-2561 दिनांक-17.4.98 तथा समय समय पर वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा निर्गत अन्य परिपत्रों में निहित निदेशों के आलोक में करेंगे। संकल्प संख्या-3098 दिनांक-20.12.2017 के आलोक में राज्य स्तर पर इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार होंगे।

7-प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति (वर्ग-9 एवं 10) योजना के तहत राशि का व्यय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत मार्गदर्शिका में निहित प्रावधानों एवं विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश के आलोक में किया जायेगा।

8-इस स्वीकृति के आलोक में शिक्षा विभाग, छात्रवृत्ति हेतु व्यय किये गये राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र निर्धारित समय-सीमा के अन्दर नियमानुसार महालेखाकार को समर्पित करते हुए इसकी सूचना अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग को भेजेंगे।

9-इस राशि की स्वीकृति हेतु पृ0 / टि0 पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

10-इस राशि की स्वीकृति की सूचना सभी संबंधित पदाधिकारी को दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,


07.05.26
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक-5/निदे0(प्री मैट्रिक)-11-07/2021- 26

पटना, दिनांक- 11/05/2026

प्रतिलिपि-विकास आयुक्त, बिहार/अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग/अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग/अपर मुख्य सचिव, योजना एवं विकास विभाग/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त/सभी प्रमण्डलीय उप निदेशक कल्याण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


07.05.26
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक-5/निदे0(प्री मैट्रिक)-11-07/2021- 26

पटना, दिनांक- 11/05/2026

प्रतिलिपि:-सभी जिला कोषागार पदाधिकारी/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी जिला कल्याण पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


07.05.26
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक-5/निदे0(प्री मैट्रिक)-11-07/2021- 26

पटना, दिनांक- 11/05/2026

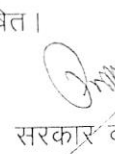
प्रतिलिपि:-निदेशक/प्रभारी वजट शाखा/प्रशाखा पदा0-5(निदे0)/आई0 टी0 मैनेजर/सांख्यिकी कोषांग, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


07.05.26
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक-5/निदे0(प्री मैट्रिक)-11-07/2021- 26

पटना, दिनांक- 11/05/2026

प्रतिलिपि-माननीय मंत्री के आप्त सचिव, शिक्षा विभाग/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।


07.05.26
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक-5/निदे0(प्री मैट्रिक)-11-07/2021- 26

पटना, दिनांक- 11/05/2026

प्रतिलिपि:-संयुक्त सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन नई दिल्ली-110001 को सूचनार्थ प्रेषित।


07.05.26
सरकार के सचिव।